>

Ttile: Introduction of the Code on Wages Bill, 2019.

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 18 - श्री संतोष कुमार गंगवार जी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, इसमें ट्रेड यूनियन है, कोर्ट है । इसलिए हम चाहते हैं कि इसे स्टैण्डिंग कमेटी को भेजा जाए ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।...(व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह 'कोड ऑन वेजेज़' वाला बिल पिछली लोक सभा में संसदीय समिति को गया था । उस पर लम्बी चर्चा के बाद उसकी संस्तुति होकर आई थी । इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस पर आपत्ति न करें ।...(व्यवधान)

महोदय, माननीय प्रेमचन्द्रन जी इसके बारे में ज्यादा जानते हैं । वे मेरी बात से सहमत होंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आप वक्तव्य देना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. Under Rule 72 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I would like to oppose the introduction of the two Bills, the Code on Wages, 2019 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2019.

As far as contents of this Bill are concerned, I am not going into the merits of the Bill. The only and the strong objection which I would like to raise is this. The convention of this House regarding the labour laws legislation is that tripartite consultation will be done and consensus will be taken. In this case, tripartite consultations were done but, unfortunately, we have not reached to any consensus regarding the Code on Wages, 2019 as well as the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2019. This is against the precedence and conventions of this House. The promulgation of labour legislation will adversely affect the convention of this House. We will discuss its impact – whether it is positive or negative – when we take the Bill for consideration.

Therefore, my suggestion is this. The Code on Wages, 2019, has already been sent to the Standing Committee. Whatever the hon. Minister has said is absolutely correct but the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2019, which is to be introduced as the next Item of the Business, that may be sent to the Standing Committee. Also, the tripartite consultation should be done.

The stakeholders have to be taken into confidence in order to have the labour legislation. With this objection, I oppose the introduction of the Bill.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए रुकिए । आपका नोटिस है और मैं आपको बिल में क्लैरिफिकेशन के लिए परमिशन दूंगा ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यही बोल रहा हूं ।…(व्यवधान) आपने कहा कि कोड ऑन वेजेज़ स्टैंडिंग कमेटी में गया है और बहुत सारी चर्चा हुई है । आपने ये दो बिल एक साथ बी.ए.सी. में लिए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इन दोनों बिलों को चर्चा करने के लिए एक साथ लिया गया था । इसके लिए चार घंटे, दो घंटे तथा छह घंटे का समय दिया गया है, इसलिए हम चाहते हैं और यह विषय भी बहुत बड़ा है । इसमें ट्रेड यूनियन, ट्राइब्यूनल और कोर्ट शामिल हैं ।…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I have given a notice to oppose the introduction of the Code on Wages. I do not want to club the two Bills together; they are separate. One is the Code on Wages; the other is the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code.

Sir, four Acts are supposed to be subsumed in this Code. They are the Payment of Wages Act, the Minimum Wages Act, the Payment of Bonus Act, and the Equal Remuneration Act. I do not understand what is the compulsion of clubbing all these Acts together. I know that this

Bill was sent earlier to the Standing Committee; it was not discussed in the House. They are referring to the Second National Commission on Labour which gave its report in June, 2002. Now, after 17 years, they are bringing it out from the cold storage. Among the trade unions, who asked for a Code on Wages? This is a question which is not clear to me. This has been done at the behest of the employers. FICCI and CII want a single legislation which will be easy for them. That is why, workers will be put in trouble. The voices of their representatives will not be heard. A single Code on Wages covering all wages will be brought forward. That is why, let it be sent to a Standing Committee again; otherwise this Bill should not be taken forward. This serves nobody; this serves no purpose. The interests of the labour are not particularly looked into. That is why, I totally oppose the introduction of the Bill.

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि वर्ष 2002 में तत्कालीन श्रम संबंधी कमेटी ने सिफारिश की थी कि श्रम के जो 44 कानून हैं, उनको कम किया जाए और आवश्यकता के हिसाब से चार या पांच कानून बनाए जाएं । इस संस्तुति को उस समय सभी मजदूर संगठनों ने स्वीकार करने का काम किया था, परंतु दुर्भाग्य यह है कि वर्ष 2003-04 के बाद जो सरकार आई, उसने दस साल तक इस पूरे प्रकरण को ठंडे बस्ते में डालकर रखा । जब हम लोग आए, तब हमने फिर से इसको प्रारंभ किया और सभी से लगातार बात की ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हम जो भी कानून लाना चाहते हैं, कम से कम 13 श्रमिक संगठनों से मिल बैठकर बात करते हैं, सभी राज्य सरकारों से बात करते हैं और इसके बाद मालिकों से बात करते हैं । पूरे पांच साल की चर्चा के बाद हम यह बिल यहां लेकर आए हैं । सभी इसका स्वागत कर रहे हैं । मैं यहां कहना चाहूंगा और माननीय सदस्य श्री प्रेमचन्द्रन जी मौजूद हैं,

हर बात पर हम इनसे राय-मशविरा करते हैं । यह बात सही है कि यह संसदीय समिति में भी गया था और वहां से सिफारिश होकर आया है । हमने संसदीय समिति की अधिकांश सिफारिशों को मान लिया है । अभी इस समय स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है । आप जितनी चाहे, उतनी विस्तृत चर्चा बिल पर यहां करें, लेकिन वास्तव में यह मजदूर के हित के लिए है । ...(व्यवधान) सदन सर्वोपरि है । सदन जो तय करेगा, उसको हम मानेंगे । ...(व्यवधान) परंतु मेरा आग्रह है कि आप पहले इस बिल को पास करें और दूसरे के बारे में आप जो फैसला लेंगे, वह हमको मंजूर होगा ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

-

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अगला आइटम ।

...(व्यवधान)

12.15 hrs